



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

प्रारूप 26

11AA 641584

(नियम 4क देखिए)

57 भीमताल विधानसभा से निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा उत्तराखण्ड (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र गौराम सिंह पुत्र नारायण सिंह आयु 37 वर्ष जो कि ग्राम कैड़ा गाँव, पोओ० जारूरी डाक तहसील धारी, जिला नैनीताल का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ। निम्नलिखित कथन करता हूँ। शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ।

मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

1. (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं एफ०आई०आर० संख्या 19 सन् 2008
- (ii) पुलिस थाना (धाने) तल्लीताल जिला नैनीताल राज्य उत्तराखण्ड
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है धारा 343 आई०पी०सी० मामले में अभ्यर्थी को आरोपित नहीं किया गया है। मामला विचाराधीन है।
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई आरोप की विरेचना नहीं की गई है। मामला माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल के न्यायालय में विचाराधीन है।
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / थे – लागू नहीं
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है। जी नहीं

N/No. /

जारी...2

(2)


2. (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं अपराध संख्या 1702 सन् 2006
(ii) पुलिस थाना (थाने) हल्द्वानी जिला नैनीताल राज्य उत्तराखण्ड
(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है। धारा 147, 332 आई०पी०सी० में मामला विचाराधीन है।
- (iv) न्यायालय, जिसे (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई मामला माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मामले में आरोप विरचना की गई है।
(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/थे दिनांक 11-07-2011
(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है। जी नहीं
3. (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं एफ०आई०आर० संख्या 81 सन् 2010
(ii) पुलिस थाना (थाने) हल्द्वानी जिला नैनीताल राज्य उत्तराखण्ड
(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है। धारा 147, 149, 332, 253, 504, 506, 323, 542 आई०पी०सी० त 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट। मामला विचाराधीन है।
(iv) न्यायालय, जिसे (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई मामला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मामले में आरोप विरेचना नहीं की गई है।
(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/थे लागू नहीं
(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है। जी नहीं
4. (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं अपराध संख्या 180 सन् 2000
(ii) पुलिस थाना (थाने) हल्द्वानी जिला नैनीताल राज्य उत्तराखण्ड
(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है। धारा 147, 384, 336, 506, 504 आई०पी०सी०
(iv) न्यायालय, जिसे (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई मामला न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज/जे०एम०, हल्द्वानी के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मामले में आरोप विरेचना की गई है।
(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/थे दिनांक 25-10-2002
(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है। जी नहीं
2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया गया है।
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

२०८५

जारी...3

(3)

- (i) प्रामत्ता / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं X
(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है X
(iii) पुलिस थाना (थाने) X जिला (जिले) X राज्य X
(iv) संवंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है X
(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे X
(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं X



11.01.2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ / कम्ती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

.....दारी..... स्थान पर आज तारीख 11-01-2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी:— इस प्रारूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।

I declare that Sri/Smt. Lalaji Jayaram Nayak,
 the Person Identified by
 Searched & Verified the Contents of
 this Affidavit at Hospital Dhanbad on
 the Date 11/1/2012 at 10.05 A.M.

(G. N. Chaitanya)
 Notary, M.A.L.T.A & N.I.
 Distt. Dehradoon (U.P.) India